एकलव्य

भारतीय भाषाएँ व संविधान

रमा कान्त अग्निहोत्री

भारतीय भाषाएँ
व
संविधान

रमा कान्त अग्निहोत्री

एकलव्य

भारतीय भाषाएँ व संविधान
BHARTIYA BHASHAYEIN VA SAMVIDHAN

लेखक: रमा कान्त अग्निहोत्री
कवर व डिज़ाइन: इशिता देबनाथ बिस्वास
प्रकाशन टीम: लोकेश मालती प्रकाश (कॉपी एडिटिंग), रोहित कोकील (लेआउट), अभिषेक दुबे (प्रूफ रीडिंग), अपूर्वा राजे (सम्पादकीय सहयोग) और इन्दु श्रीकुमार व कमलेश यादव (उत्पादन)

रमा कान्त अग्निहोत्री, सितम्बर 2021
यह किताब क्रिएटिव कॉमन्स के Attribution-Non-Commercial NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) लाइसेंस के अन्तर्गत है। क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस के तहत आप इस किताब की सामग्री और चित्रों का गैर-व्यावसायिक उद्देश्य से उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। ऐसा करते हुए आपको लेखक और प्रकाशक का ज़िक्र करना होगा। इसके अलावा किसी भी अन्य प्रकार के उपयोग के लिए, मसलन, पाठ की रीमिक्सिंग, उसमें बदलाव या उसे आधार बनाकर कुछ करने के लिए प्रकाशक और लेखक से सम्पर्क करना ज़रूरी है।

पहला संस्करण: सितम्बर 2021 (1000 प्रतियाँ)
कागज़: 80 जीएसएम नेचुरल शेड पेपर और 250 जीएसएम एफबीबी बोर्ड पेपर (कवर)
ISBN: 978-93-91132-67-5
मूल्य: ₹ 50.00

प्रकाशक: एकलव्य फाउंडेशन
जमनालाल बजाज परिसर, जाटखेड़ी, भोपाल (मप्र) 462026
फोन: +91 755 297 7770-71-72
वेबसाइट: www.eklavya.in; ईमेल: books@eklavya.in

मुद्रक: भण्डारी ऑफसेट प्रिंटर्स, भोपाल, फोन: +91 755 246 3769

विषय सूची

1. सरकारी कामकाज की भाषा 7

2. क्षेत्रीय भाषाओं का सवाल 15

3. कौन-सी हिन्दी? 23

4. अपरिपक्व अद्‌भुत प्रतिभा की कारीगरी! 33

इस पुस्तिका के बारे में

संविधान सभा की बहसों में भाषा एक अहम मुद्दा रहा। कई सवालों पर चर्चा चल रही थी। क्या देश की अपनी एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए या केवल एक राजभाषा रखना उचित होगा? हिन्दी, उर्दू और हिन्दुस्तानी में से किसको चुना जाएगा? कौन-सी लिपि होगी? अंकों की लिपि क्या होगी? संस्कृत का क्या स्थान होगा? क्षेत्रीय भाषाओं का क्या योगदान होगा? संसद, शासन व न्यायालयों की भाषा क्या होगी? शिक्षा किस भाषा में होगी? भाषा को लेकर एक सामान्य नागरिक के क्या अधिकार होंगे? संविधान सभा के सदस्य ऐसे अनेक मसलों से जूझ रहे थे।

इस पुस्तिका में इस बात की पड़ताल की गई है कि तमाम बहस-मुबाहिसे के बाद संविधान सभा के सदस्य किन जवाबों पर सहमत हुए और कैसे। भाषा हमारे देश में आज भी बहस का एक तीखा मुद्दा है। ऐसे में भाषा के सवाल पर संविधान सभा में हुई बहसों को जानना महज़ ऐतिहासिक जिज्ञासा को शान्त करने जैसा नहीं है। इससे हमें आज की बहसों के सन्दर्भ में एक सचेत राय बनाने में भी मदद मिल सकती है। उम्मीद है कि यह पुस्तिका, जिसके अध्याय *शैक्षणिक संदर्भ* पत्रिका में प्रकाशित हुए थे, इस अर्थ में एक व्यापक पाठक वर्ग के लिए उपयोगी साबित होगी।

1

सरकारी कामकाज की भाषा

Part XVII

Official Language

Chapter I.—Language of the Union

Official language of the Union.

343. (1) The official language of the Union shall be Hindi in Devanagari script.

The form of numerals to be used for the official purposes of the Union shall be the international form of Indian numerals.

(2) Notwithstanding anything in clause (1), for a period of fifteen years from the commencement of this Constitution, the English language shall continue to be used for all the official purposes of the Union for which it was being used immediately before such commencement:

Provided that the President may, during the said period, by order authorise the use of the Hindi language in addition to the English language and of the Devanagari form of numerals in addition to the international form of Indian numerals for any of the official purposes of the Union.

(3) Notwithstanding anything in this article, Parliament may by law provide for the use, after the said period of fifteen years, of—

(a) the English language, or

(b) the Devanagari form of numerals,

for such purposes as may be specified in the law.

Commission and Committee of Parliament on official language.

344. (1) The President shall, at the expiration of five years from the commencement of this Constitution and thereafter at the expiration of ten years from such commencement, by order constitute a Commission which shall consist of a Chairman and such other members representing the different languages specified in the

बानी

भारतीय भाषाओं व संविधान के बारे में इस पुस्तिका के पहले अध्याय में हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 व 344 के बारे में बातचीत करेंगे। एक मुख्य बात जो साफ करना आवश्यक है, वह यह है कि हिन्दी भारत की राजभाषा (Official Language) है न कि राष्ट्रभाषा (National Language)। अगर संविधान सभा की बहसों में इस बात पर सहमति नहीं बनती तो शायद भारत का वह स्वरूप नहीं होता जो आज है। सम्भव है कि उसके कई टुकड़े हो गए होते।

भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 1 दिसम्बर 1946 को हुई थी। लगभग तीन साल तक इस सभा में बहसें चलती रहीं। इसकी अन्तिम बैठक 14 जनवरी 1950 को हुई। इस अरसे में देश के अलग-अलग हिस्सों से आए 300 से भी अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया। उस समय के लोगों की निष्ठा, विवेक व संवेदनशीलता को देखकर विश्वास नहीं होता कि आज हमारी संसद का यह हाल हो गया है। संविधान सभा की कुल 11 बैठकों में इतने जटिल व विषम मामलों पर बहसें हुईं पर किसी ने भी कभी असभ्य तरीके से बात नहीं की। मेरा मानना है कि संविधान सभा की बहसों के कुछ हिस्से हमारी शिक्षा में स्कूल/कॉलेज के स्तर पर पढ़ाई-लिखाई के आवश्यक अंग होने चाहिए।

यह सही है कि उस समय भाषा की प्रकृति, संरचना व विविधता को लेकर संसार भर में हो रहे शोध की कोई विशेष झलक संविधान सभा की बहसों में नहीं मिलती, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि भाषा संविधान सभा के लिए एक प्रमुख मुद्दा था और उस पर

संविधान सभा में खुलकर व गहरी संवेदनशीलता के साथ बहस भी हुई। इस बहस में भाग लेने वाले अलग-अलग प्रान्तों से आए हुए विद्वान व राजनेता थे। इनमें राजेन्द्र प्रसाद, नेहरू, पटेल, आज़ाद के साथ-साथ हिन्दी के लिए अपनी बात रखने के लिए पुरुषोत्तम दास टण्डन, सेठ गोविन्द दास, सम्पूर्णानन्द, रवि शंकर शुक्ल और के एम मुंशी शामिल थे। बिहार से जयपाल सिंह, संयुक्त प्रान्त (वर्तमान उत्तराखण्ड व उत्तर प्रदेश) से मोहम्मद हिफज़ुर रहमान व अलगू राय शास्त्री थे। साथ ही, आर वी धुलेकर, एस वी कृष्णमूर्ति राव, लक्ष्मीकान्ता मैत्रा व दुर्गाबाई थे। हमारे संविधान के कुल 22 भाग (अब कुछ उपभागों के साथ 25) और 12 अनुसूचियाँ हैं। इनमें से एक पूरा भाग (सत्रहवाँ) और एक अनुसूची (आठवीं) केवल भाषा के लिए है। भाग 17 में चार अध्याय हैं जिनमें अनुच्छेद 343 से 351 तक शामिल हैं। आठवीं अनुसूची में पहले 14 भाषाएँ थीं। आज 22 भाषाएँ हैं। ध्यान देने योग्य बात है कि भाग 17 का शीर्षक 'राजभाषा' या 'आधिकारिक भाषा' (Official Language) है। उसके पहले अध्याय का शीर्षक, जिस पर हम इस लेख में चर्चा कर रहे हैं, 'संघ की भाषा' (Language of the Union) है।

हमारा मान्य संविधान केवल अँग्रेज़ी में ही उपलब्ध है। यह दुर्भाग्य की बात है कि आज भी हमारा संविधान हिन्दी या किसी भी अन्य भारतीय भाषा में उपलब्ध नहीं है। संविधान सभा के अध्यक्ष व भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद ने वायदा किया था कि संविधान बनने के एक साल के अन्दर एक सर्वमान्य संविधान हिन्दी में भी उपलब्ध होगा। भारत की अन्य भाषाओं में भी इसे उपलब्ध कराने के प्रयास हुए लेकिन भाषा की राजनीति के चलते कोई सर्वमान्य अनुवाद आज तक सम्भव नहीं हुआ।

संविधान सभा के सामने सवाल

भाषा के बिना कुछ भी सम्भव नहीं। न राजनीति पर बातचीत, न संसद, न शिक्षा, न शासन और न ही न्यायपालिका। इसलिए,

स्वाभाविक है कि भाषा को लेकर संविधान सभा में कई सवाल थे, खासकर ऐसे देश में जहाँ कई भाषाएँ थीं पर उस समय तक सभी महत्वपूर्ण काम अँग्रेज़ी में होते थे। आज़ाद भारत के लिए आवश्यक था कि वह अपनी भाषा में बात करे लेकिन कई महत्वपूर्ण भाषाओं के चलते यह आसान काम नहीं था और यह एक बड़ा सवाल था कि देश की राष्ट्रभाषा या राजभाषा क्या होगी। राष्ट्रभाषा हो भी या नहीं? अंक किस भाषा में लिखे जाएँ, शिक्षा की भाषा क्या हो, दफ्तरों में किस भाषा का प्रयोग हो, अँग्रेज़ी का क्या स्थान होगा, आज़ाद भारत में क्षेत्रीय भाषाओं की क्या जगह होगी, संसद व न्यायपालिका की क्या भाषा होगी, अल्पसंख्यक समुदायों की भाषाओं का क्या होगा, आदिवासी भाषाओं के बारे में संविधान में क्या प्रावधान होंगे, आदि?

राष्ट्रभाषा या राजभाषा?

संविधान सभा के एक गुट के लिए यह बिलकुल साफ था कि अब अँग्रेज़ी, फारसी, उर्दू, आदि का इस देश में कोई काम नहीं। इन सदस्यों का मानना था कि बहुत सारे लोग हिन्दी समझते हैं और यही नए भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। नया देश नई पहचान – पाकिस्तान की पहचान उर्दू, हिन्दुस्तान की हिन्दी। टण्डन, गोविन्द दास व के एम मुंशी इस बात को लेकर बार-बार बहस करते और शेष भारतवासियों से, विशेषकर दक्षिण भारत के लोगों से, अनुरोध करते कि इतना त्याग तो उन्हें हिन्दी को लेकर करना ही पड़ेगा।

अन्य कई भाषाओं ने भी राष्ट्रभाषा होने के दावे किए। संस्कृत उनमें से प्रमुख थी। संस्कृत के समर्थकों का कहना था कि ये तो सब भाषाओं की जननी है और हमारी प्राचीन संस्कृति की प्रतीक भी। फिर हिन्दी व संस्कृत ही क्यों, बांग्ला, तेलुगु ने भी राष्ट्रभाषा होने के लिए तर्क दिए। तेलुगु के लिए कहा गया कि इसमें इस वक्त सबसे अधिक विज्ञान उपयुक्त शब्दावली है जो हिन्दी या किसी भी अन्य भारतीय भाषा में नहीं है। यह भी एक मत था कि अँग्रेज़ी को ही देश की भाषा रहने दिया जाए। इसमें सारा काम चल रहा है और शिक्षा

व ज्ञान के लिए भी यह कारगर होगी, लेकिन सबसे अधिक बहस दो मुद्दों को लेकर हुई। एक तो यह कि देश की भाषा हिन्दी हो या फिर गाँधीजी वाली हिन्दुस्तानी। दूसरा यह कि क्षेत्रीय भाषाओं का क्या स्थान हो (इसकी चर्चा अगले अध्याय में की गई है)।

देश के प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेन्द्र प्रसाद व मौलाना आज़ाद हिन्दुस्तानी के पक्ष में थे। उनका कहना था कि यह आम लोगों की भाषा है और इसे ही देश की भाषा होनी चाहिए। इसके उलट, हिन्दी के समर्थक संस्कृतनिष्ठ भाषा के पक्ष में थे। उनका मत था कि हिन्दी से सभी अँग्रेज़ी, फारसी व उर्दू के शब्दों को निकालना होगा। देश की नई पहचान, नई हिन्दी होगी। यह संस्कृत पर आधारित होगी और इसकी लिपि फारसी न होकर देवनागरी होगी। आज़ादी से पहले भारत की कई भाषाएँ फारसी लिपि में लिखी जाती थीं। कोर्ट-कचहरी का काम भी अधिकतर उर्दू में ही होता था। लेकिन इन लोगों का कहना था कि यह एक नया देश है जिसका एक झण्डा है, एक राष्ट्रगान है, एक राष्ट्रीय चिह्न है और इसलिए एक राष्ट्रभाषा भी होनी चाहिए – संस्कृतनिष्ठ हिन्दी। लोगों का बस चलता तो एक धर्म की भी बात करते। लेकिन, भारत का इतिहास अलग रहा है – बहुभाषी, बहुधार्मिक व बहुसांस्कृतिक।

इस जटिल सवाल को संविधान सभा ने जैसे सुलझाया, वह सचमुच काबिले-तारीफ है। यह तो साफ था कि बहुमत को ठुकराना मुश्किल है। दक्षिण को राष्ट्रभाषा के नाम पर हिन्दी या हिन्दुस्तानी कबूल नहीं थी। उत्तर भारत को हिन्दी के सिवा कुछ और कबूल नहीं था। तो फिर संविधान सभा ने इस मसले को कैसे सुलझाया?

जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है, संविधान के भाग 17 का शीर्षक 'राजभाषा' है। भाषा के मसले को सुलझाने की दिशा में पहला कदम यह निर्णय था कि देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं होगी। यही वजह है कि भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, सिर्फ राजभाषा है।

राजभाषा यानी सरकार के कामकाज में इस्तेमाल होने वाली भाषा। इस तरह, हिन्दी सिर्फ सरकारी कामकाज की भाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं। भाग 17 के पहले अध्याय का नाम 'संघ की भाषा'[1] है। इस अध्याय के अनुच्छेद 343 में यही लिखा है। अनुच्छेद 343 (1-3) में जो बातें लिखीं हैं उनका सार कुछ इस तरह है: देवनागरी लिपि में लिखी गई हिन्दी देश की राजभाषा है। शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले भारतीय अंकों का रूप अन्तर्राष्ट्रीय अंकों का होगा। यह भी कहा गया कि अगले 15 वर्षों तक (यानी, संविधान लागू होने के बाद के 15 वर्षों तक) अँग्रेज़ी भी राजकीय भाषा का काम करेगी।

आज़ादी के बाद दक्षिण में लोग 'आर्य समाज', 'आर्य संस्कृति', 'आर्य भाषा' और 'आर्य लिपि' आदि जैसे नारों से आशंकित हो गए। संविधान के अनुसार, 1965 में अँग्रेज़ी को हटाना तय था, लेकिन उससे पहले ही दक्षिण में भाषा के मसले पर बड़ा उग्र आन्दोलन चला। इसमें अनेक लोग जेल गए एवं 70 से भी अधिक लोग मारे गए। इस उथल-पुथल की वजह से अँग्रेज़ी आज तक हमारे साथ है, एक मुख्य सह-राजकीय भाषा के रूप में, और उसके वर्चस्व की तो बात ही क्या कहें!

अनुच्छेद 343 (3) में यह भी प्रावधान रखा गया कि संसद उक्त 15 वर्ष की अवधि के बाद विधि द्वारा, (क) अँग्रेज़ी भाषा को या, (ख) अंकों के देवनागरी रूप के प्रयोग को भी मान्य कर सकती है।

भाग 17 के प्रथम अध्याय में 343 व 344 दो ही अनुच्छेद हैं। ऊपर हमने अनुच्छेद 343 के बारे में चर्चा की। अब अनुच्छेद 344 पर बात करेंगे।

अनुच्छेद 344 में मुख्यत: यह कहा गया है कि किस प्रकार हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए और अँग्रेज़ी का प्रयोग कम किया जाए। इसमें लिखा है कि राष्ट्रपति एक आयोग गठित करेंगे जो एक अध्यक्ष और आठवीं अनुसूची में शामिल विभिन्न भाषाओं का

---

1 भारत राज्यों का एक संघ है।

प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को संघ के शासकीय कामकाज के लिए हिन्दी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग, संघ के सभी या किन्हीं शासकीय कामकाज के लिए अँग्रेज़ी भाषा के प्रयोग पर रोक, संघ की राजभाषा व संघ और किसी राज्य के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्र व्यवहार की आधिकारिक भाषा के बारे में सिफारिश करे।

हिन्दी को लेकर आज भी बहस जारी है। कई विद्वान मानते हैं कि हिन्दी में से अँग्रेज़ी, फारसी, अरबी व उर्दू के शब्दों को निकाल देना चाहिए। लेकिन, सच्चाई यह है कि आज भी हिन्दी गम्भीर विमर्श की भाषा नहीं बन पाई है। लगातार विकसित होने वाली भाषाएँ, जो ज्ञान के प्रसार का साधन बनती हैं, वे ज़मीन से अपना नाता नहीं तोड़तीं और न ही अन्य भाषाओं के लिए अपने दरवाज़े बन्द करती हैं। हिन्दी के लिए भी यह आवश्यक है कि वह स्वयं को भारत एवं विश्व की अन्य भाषाओं से दूर न रखे। संविधान सभा की बहसों में नेहरू ने इस बात पर बार-बार ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें लोगों से जुड़े रहना चाहिए तभी भाषा पनपेगी। सभी दरवाज़े खुले होने चाहिए, तभी भाषा का विकास होगा।

■ ■

(स्रोत: *शैक्षणिक संदर्भ*, अंक 122, मई-जून 2019)

2
क्षेत्रीय भाषाओं का सवाल

Eighth Schedule as the President may appoint, and the order shall define the procedure to be followed by the Commission.

(2) It shall be the duty of the Commission to make recommendations to the President as to—

(a) the progressive use of the Hindi language for the official purposes of the Union;

(b) restrictions on the use of the English language for all or any of the official purposes of the Union;

(c) the language to be used for all or any of the purposes mentioned in article 348;

(d) the form of numerals to be used for any one or more specified purposes of the Union;

(e) any other matter referred to the Commission by the President as regards the official language of the Union and the language for communication between the Union and a State or between one State and another and their use.

(3) In making their recommendations under clause (2), the Commission shall have due regard to the industrial, cultural and scientific advancement of India, and the just claims and the interests of persons belonging to the non-Hindi speaking areas in regard to the public services.

(4) There shall be constituted a Committee consisting of thirty members, of whom twenty shall be members of the House of the People and ten shall be members of the Council of States to be elected respectively by the members of the House of the People and the members of the Council of States in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote.

(5) It shall be the duty of the Committee to examine the recommendations of the Commission constituted under clause (1) and to report to the President their opinion thereon.

(6) Notwithstanding anything in article 343, the President may, after consideration of the report referred to in clause (5), issue directions in accordance with the whole or any part of that report.

Chapter II.—Regional Languages

Official language or languages of a State.

345. Subject to the provisions of articles 346 and 347, the Legislature of a State

संविधान सभा को केवल राजभाषा, राष्ट्रभाषा या लिपि के सवालों को ही नहीं सुलझाना था। और भी कई सवाल थे। आज हमें लगता होगा कि संविधान सभा के लिए भाषा व लिपि का सवाल बहुत सरल रहा होगा। वास्तविकता इसके ठीक विपरीत थी। संविधान सभा के सदस्य नज़िरुद्दीन अहमद साहिब का कहना था कि हिन्दी अभी देश की भाषा होने के लिए तैयार नहीं है। जिस भाषा को देश की भाषा बनना हो उसके उत्तम लेखक व दार्शनिक होने चाहिए; उसमें लिखने वाले कलाकार व वैज्ञानिक होने चाहिए। हिन्दी अभी वैसी भाषा नहीं है। फिर भी संस्कृतनिष्ठ हिन्दी का बोल-बाला होने लगा। संविधान सभा के मुस्लिम साथियों को अचानक लगने लगा कि वे जैसे किसी और देश में आ गए हों। हिफज़ुर रहमान हैरान थे कि कल तक सब लोग खुश थे कि हिन्दुस्तानी देश की राष्ट्रभाषा होगी और वह दोनों लिपियों, यानी फारसी व देवनागरी, में लिखी जाएगी। फिर अचानक यह सब क्या हो गया? गाँधीजी बड़े उत्साह के साथ हिन्दी साहित्य सम्मेलन का हिस्सा बने। पर उन्हें जैसे ही पता लगा कि यह संस्था हिन्दी व उर्दू को अलग-अलग करना चाहती है और आम लोगों द्वारा बोले जाने वाली हिन्दुस्तानी की जगह संस्कृतनिष्ठ हिन्दी को स्थापित करना चाहती है तो उन्होंने तुरन्त उससे त्यागपत्र दे दिया। हिन्दुस्तानी के सामान्य शब्दों को संस्कृत या फारसी शब्दों से बदलना उन्हें गवारा नहीं था। हिफज़ुर रहमान को लगा कि संविधान सभा भाषा को लेकर निरन्तर गाँधीजी के सपने से दूर जा

रही है। उनका कहना था कि उर्दू कोई अरब, ईरान या स्पेन से नहीं आई, वह तो भारत की अपनी भाषा है।

एच एम सेरवाई (1983) के अनुसार गाँधीजी को राष्ट्रभाषा की चिन्ता थी। इस भाषा को वह कभी हिन्दी कहते तो कभी हिन्दुस्तानी। लेकिन उनके लेखन से यह साफ है कि इससे उनका तात्पर्य संस्कृतनिष्ठ हिन्दी या फारसीकृत उर्दू से कतई नहीं था और उनका मानना था कि काँग्रेस को इसके बारे में स्पष्ट मत रखना चाहिए। इस बात से किसी को इन्कार नहीं था कि नए आज़ाद देश की नई भाषागत पहचान होनी चाहिए। यह पहचान अभी तक काफी हद तक अँग्रेज़ी ने बनाई हुई थी, जो उत्तर व दक्षिण भारत को जोड़ती थी। लेकिन अब क्या किया जाए?

जैसा हमने पहले अध्याय में देखा, उर्दू के लिए संविधान में कोई विशेष जगह नहीं थी। यही रास्ता निकाला गया कि राष्ट्रभाषा की बात ही न की जाए। केवल राजभाषा की बात हो और उसकी लिपि देवनागरी रहे। वास्तव में, संविधान में लगभग सभी बातें तर्क से कम, सहमति से अधिक निश्चित हुईं। उस समय तार्किक दृष्टिकोण से क्या उचित रहता, यह कहना बड़ा मुश्किल है। यही उचित समझा गया कि बहुमत की सहमति से सुरक्षित बातों को माना जाए। यह एक हाथ कुछ लेने और दूसरे हाथ कुछ देने की प्रक्रिया है। लिपि देवनागरी लेकिन अंक अन्तर्राष्ट्रीय। हिन्दी के साथ-साथ अँग्रेज़ी भी राजभाषा। लोग नहीं माने तो यह प्रावधान भी रख लिया कि 15 साल बाद अँग्रेज़ी को हटा दिया जाएगा। शायद, अधिकतर लोगों को उस वक्त भी मालूम था कि यह सम्भव नहीं होगा। साथ-साथ, आठवीं अनुसूची भी बना दी गई और उसमें 14 भाषाएँ दर्ज कर दी गईं। आज भी हिन्दी, उर्दू, हिन्दुस्तानी का कोई सहज फैसला नहीं हुआ है। बहुत से लोग संस्कृतनिष्ठ हिन्दी को राष्ट्रभाषा मानते हैं या बनाना चाहते हैं। आम लोगों की भाषा आज भी हिन्दुस्तानी है। अनेक स्कूलों में आज भी उर्दू पढ़ाई जाती है। साहित्य में हर तरह का लेखन मिलता है। असली बात तो यह है कि संरचना के आधार पर एक ही भाषा की इन तीनों शैलियों में कोई विशेष अन्तर नहीं, केवल

शब्दों को छोड़कर। हिन्दुस्तानी को थोड़ा फारसी व अरबी शब्दों की तरफ ले जाओ तो वह उर्दू, अक्सर फारसी लिपि में और उसी भाषा को संस्कृत शब्दों की तरफ ले जाओ तो वह हिन्दी, अक्सर देवनागरी लिपि में। अन्तर अगर है भी तो लिपि और शब्दों का। आम बोलचाल की भाषा में तो वह भी नहीं। पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा उर्दू है; हिन्दुस्तान की राजभाषा हिन्दी। पर आज भी दोनों देशों के लोग आपस में आराम से बातचीत करते हैं, जब ज़रूरत होती है!

संविधान सभा के सामने दूसरा बड़ा सवाल था क्षेत्रीय भाषाओं का। अब देखते हैं कि इसे कैसे सुलझाया गया।

संविधान के भाग 17 के दूसरे अध्याय का शीर्षक है: 'क्षेत्रीय भाषाएँ' (Regional Languages)। इसमें तीन अनुच्छेद – 345, 346 और 347 – हैं। कई क्षेत्रीय भाषाएँ राष्ट्रभाषा/राजभाषा की बहस में अपने दावे करती रही थीं। इनमें संस्कृत, बांग्ला, तेलुगु व तमिल मुख्य थीं। अँग्रेज़ी के अपने दावे थे। उर्दू को लेकर भी कई लोगों के मन में मलाल था। फिर भी कोई न कोई सहमति तो बनानी ही थी। सबको खुश रखना था। इसका एक तरीका तो आठवीं अनुसूची के ज़रिए निकाला गया जिसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे (अध्याय 4)।

अनुच्छेद 345 राज्यों की राजभाषा या राजभाषाओं के बारे में है। इससे, हर राज्य को अपनी राजभाषा चुनने की आज़ादी मिलती है। साफ है कि इससे अलग-अलग पक्षों को काफी सुकून मिला होगा। किसी भी राज्य की विधानसभा यह फैसला कर सकती है कि उसे अपने राज्य में किस राजभाषा का प्रयोग करना है। यह भाषा उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से कोई भी हो सकती है और इसका प्रयोग सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए हो सकता है। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक जो काम अँग्रेज़ी में होता रहा है, अँग्रेज़ी में ही होगा। इस अनुच्छेद के चलते कई राज्यों की अपनी-अपनी राजभाषाएँ हैं, हिन्दी व अँग्रेज़ी के अलावा। नागालैण्ड की कई राजभाषाएँ हैं – आओ, अंगामी, सेमा, लोथा व कोन्याक। इसी तरह जम्मू व कश्मीर की भी कई राजभाषाएँ थीं – कश्मीरी, डोगरी,

may by law adopt any one or more of the languages in use in the State or Hindi as the language or languages to be used for all or any of the official purposes of that State.

Provided that, until the Legislature of the State otherwise provides by law, the English language shall continue to be used for those official purposes within the State for which it was being used immediately before the commencement of this Constitution.

Official language for communication between one State and another or between a State and the Union.

346. The language for the time being authorised for use in the Union for official purposes shall be the official language for communication between one State and another State and between a State and the Union:

Provided that if two or more States agree that the Hindi language should be the official language for communication between such States, that language may be used for such communication.

Special provision relating to language spoken by a section of the population of a State.

347. On a demand being made in that behalf, the President may, if he is satisfied that a substantial proportion of the population of a State desire the use of any language spoken by them to be recognised by that State, direct that such language shall also be officially recognised throughout that State or any part thereof for such purpose as he may specify.

Chapter III.—Language of the Supreme Court, High Courts, etc.

Language to be used in the Supreme Court and in the High Courts and for Acts, Bills, etc.

348. (1) Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Part, until Parliament by law otherwise provides—

(a) all proceedings in the Supreme Court and in every High Court,

(b) the authoritative texts—

(i) of all Bills to be introduced or amendments thereto to be moved in either House of Parliament or in the House or either House of the Legislature of a State,

(ii) of all Acts passed by Parliament or the Legislature of a State and of all ordinances promulgated by the President or the Governor or Rajpramukh of a State, and

(iii) of all orders, rules, regulations and bye-laws issued under this Constitution or under any law made by Parliament or the Legislature of a State,

shall be in the English language.

उर्दू, लद्दाखी, पहाड़ी, पंजाबी व दादरी। उत्तर प्रदेश में भी हिन्दी और उर्दू को लेकर काफी हलचल रही और बड़ी-बड़ी अदालतों में मुकदमे लड़े गए।

अनुच्छेद 346 का वास्ता राज्यों के बीच और राज्य व संघ के बीच सम्प्रेषण से है। जब तक कुछ संवैधानिक बदलाव नहीं हो जाते, तब तक संघ की राजभाषा ही संघ व राज्यों के बीच और दो राज्यों के बीच सम्प्रेषण की आधिकारिक भाषा होगी। यदि दो या अधिक राज्य यह मान लेते हैं कि उन राज्यों के बीच सम्प्रेषण की भाषा हिन्दी होगी तो यह किया जा सकेगा।

अनुच्छेद 347 में राष्ट्रपति को विशेष अधिकार दिए गए। इस अनुच्छेद में इस बात का प्रावधान रखा गया कि यदि किसी राज्य में पर्याप्त संख्या में लोग किसी भाषा को बोलते हों और यह चाहते हों कि उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को मान्यता दी जाए तो राष्ट्रपति इसकी अनुमति दे सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय के सामने 1997 में एक केस आया। यह उत्तर प्रदेश सरकार के एक कानून के खिलाफ उत्तर प्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन की अपील थी।

मामला यह था कि 1951 में उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया कि हिन्दी उत्तर प्रदेश की राजभाषा होगी। लेकिन, 1989 में सरकार ने इसमें संशोधन करके उर्दू को प्रदेश की सह-राजभाषा का दर्जा दे दिया। उत्तर प्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन का मानना था कि सरकार का यह निर्णय असंवैधानिक है। सम्मेलन ने सरकार के फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी।

हाई कोर्ट का फैसला था कि सरकार का निर्णय न्यायसंगत है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश सरकार के कानून को विधिसम्मत व संवैधानिक माना। अनुच्छेद 345 व 347 का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि सरकार को यह अधिकार है कि वह भाषा के सम्बन्ध में लोगों द्वारा दिए गए सुझावों का सम्मान करे और उन्हें अपनी

प्रशासनिक नीति में शामिल करे। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि भाषा से सम्बन्धित भारतीय कानून कठोर नहीं बल्कि उदार हैं। उनका उद्देश्य भाषाई निरपेक्षता को प्रोत्साहित करना है। यह फैसला लेने में सुप्रीम कोर्ट ने बी शिव राव व उनके सहयोगियों द्वारा लिखी किताब (1968) के भी कुछ अंश इस्तेमाल किए।[2]

■ ■

(स्रोत: *शैक्षणिक संदर्भ*, अंक 123, जुलाई-अगस्त 2019)

2 https://indiankanoon.org/doc/122755055/

3
कौन-सी हिन्दी?

(2) Notwithstanding anything in sub-clause (a) of clause (1), the Governor or Rajpramukh of a State may, with the previous consent of the President, authorise the use of the Hindi language, or any other language used for any official purposes of the State, in proceedings in the High Court having its principal seat in that State:

Provided that nothing in this clause shall apply to any judgment, decree or order passed or made by such High Court.

(3) Notwithstanding anything in sub-clause (b) of clause (1), where the Legislature of a State has prescribed any language other than the English language for use in Bills introduced in, or Acts passed by, the Legislature of the State or in Ordinances promulgated by the Governor or Rajpramukh of the State or in any order, rule, regulation or bye-law referred to in paragraph (iii) of that sub-clause, a translation of the same in the English language published under the authority of the Governor or Rajpramukh of the State in the Official Gazette of that State shall be deemed to be the authoritative text thereof in the English language under this article.

Special procedure for enactment of certain laws relating to language.

349. During the period of fifteen years from the commencement of this Constitution, no Bill or amendment making provision for the language to be used for any of the purposes mentioned in clause (1) of article 348 shall be introduced or moved in either House of Parliament without the previous sanction of the President, and the President shall not give his sanction to the introduction of any such Bill or the moving of any such amendment except after he has taken into consideration the recommendations of the Commission constituted under clause (1) of article 344 and the report of the Committee constituted under clause (4) of that article.

Chapter IV.— Special Directives

Language to be used in representations for redress of grievances.

350. Every person shall be entitled to submit a representation for the redress of any grievance to any officer or authority of the Union or a State in any of the languages used in the Union or in the State, as the case may be.

Directive for development of the Hindi Language.

351. It shall be the duty of the Union to promote the spread of the Hindi language, to develop it so that it may serve as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India and to secure its enrichment by assimilating without interfering with its genius the forms, style and expressions used in

अब हम भाग 17 के तीसरे व चौथे अध्याय की बात करेंगे। संविधान के तीसरे अध्याय में 348 व 349 दो अनुच्छेद हैं। इसी तरह, चौथे अध्याय में भी दो अनुच्छेद 350 व 351 हैं। हम अपनी चर्चा अनुच्छेद 351 से शुरू करते हैं। उसका सीधा सम्बन्ध हिन्दी से है और संविधान बनाने की प्रक्रिया से भी।

अनुच्छेद 351

हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए जो लोग बेचैन थे उन्हें लगता था कि दक्षिण के लोगों को, जो तमिल, मलयालम जैसी बिलकुल अलग भाषा परिवारों की भाषाएँ बोलते हैं, हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात सहज मान लेनी चाहिए क्योंकि यह पूरे देश का सवाल है। दक्षिण भारत का कहना था कि यदि हमें साथ रखना है तो हमारी बात भी सुनी जानी चाहिए। और अँग्रेज़ी को चलते रहना चाहिए।

लोग यह नहीं समझना चाहते थे कि दक्षिण के हर प्रदेश के लोगों की अपनी अलग पहचान है और उसे वे खोना नहीं चाहते। तमिल संस्कृति व साहित्य किसी भी दृष्टि से संस्कृत की परम्परा से कम नहीं हैं। यही बात केरल, आन्ध्र प्रदेश व कर्नाटक के बारे में भी सही थी। यह तो ठीक है कि उत्तर भारत की अधिकतर भाषाएँ संस्कृत से जुड़ी हैं। पर संरचना के आधार पर दक्षिण में बोली जाने वाली द्रविड़, उत्तर-पूर्व में बोली जाने वाली तिबतो-बर्मन व आदिवासियों में बोली जाने वाली मुण्डा भाषाओं का संस्कृत से कोई ताल्लुक नहीं।

हाँ, सभी भाषाएँ एक-दूसरे से शब्द निरन्तर उधार लेती रही हैं। बहुत लम्बी बहस के बाद हिन्दी को राजभाषा बनाने पर सहमति तो बन गई लेकिन हिन्दी वालों के लिए कुछ विशेष प्रावधान करना भी ज़रूरी था। इसीलिए अनुच्छेद 351 बना।

उसमें कहा गया कि हिन्दी भाषा का जगह-जगह विस्तार करना संघ का कर्तव्य होगा। यह हिन्दी ऐसी होगी जो भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। हिन्दी की मूल प्रकृति में अन्तर नहीं आना चाहिए। संघ की ज़िम्मेदारी है कि हिन्दुस्तानी और आठवीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं में प्रयुक्त रूपों, शैलियों और पदों को आत्मसात करते हुए हिन्दी का विकास करे। जहाँ आवश्यक हो वहाँ उसके शब्द-भण्डार के लिए मुख्यत: संस्कृत से और गौणत: अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।

यह तर्क कि मुख्यतः संस्कृत से ही शब्द लिए जाएँ शिक्षाशास्त्रियों व लेखकों के बीच आज भी बहस का मुद्दा है। यदि शब्द अधिकतर संस्कृत से ही लिए जाएँगे तो हिन्दुस्तानी की शैली व सामासिक संस्कृति का क्या होगा? कई स्कूलों में हिन्दी और उर्दू दोनों की पढ़ाई होती है। अनेक विश्वविद्यालयों में हिन्दी और उर्दू के अलग-अलग विभाग होते हैं। हिन्दुस्तानी की बात कहीं नहीं होती। लेकिन प्रेमचंद को तो हिन्दी वाले भी पढ़ते हैं और उर्दू वाले भी। एक बार तमिलनाडु सरकार ने यह फैसला लिया कि जिन लोगों ने हिन्दी का विरोध किया था, उन्हें विशेष पेंशन मिलनी चाहिए। मद्रास हाई कोर्ट ने भी यह बात मान ली। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि तमिल सरकार का यह कानून असंवैधानिक है।[3]

यह केस आर आर दलवाई व तमिल सरकार के बीच था।[4] सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि देश में किसी को अधिकार नहीं है कि वह हिन्दी के खिलाफ कोई आवाज़ उठाए, और उसके लिए लोगों को

---

3 https://indiankanoon.org/doc/1160503/

4 SCR 601, May 1976, AIR 1559

पेंशन देना तो बिलकुल सम्भव नहीं। जिनको पेंशन मिली भी, उनसे वापस लेने के आदेश दिए गए।

अनुच्छेद 348

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा, संसद व विधानसभाओं में प्रस्तुत विधेयकों व संशोधनों की भाषा, इनमें पारित अधिनियमों, आदि की भाषा क्या होगी, इसका ज़िक्र अनुच्छेद 348 में किया गया है।

> अनुच्छेद 348 (1) (क) – जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियाँ अँग्रेज़ी भाषा में होंगी।

संविधान सभा की बहसों में हिन्दी और अँग्रेज़ी को लेकर काफी गर्मा-गर्मी हुई थी। लोगों का कहना था कि यदि हम अपने ही देश में न्याय की माँग अपनी भाषा में नहीं कर सकते तो फिर यह आज़ादी किस काम की। पहले अँग्रेज़ राज करते थे, अब अँग्रेज़ी करेगी! धुलेकर साहब तो इस बात को लेकर कई बार आगबबूला हुए। उनका कहना था कि जिन लोगों को हिन्दुस्तानी नहीं आती उन्हें यह देश छोड़ देना चाहिए और उन्हें इस संविधान सभा का सदस्य होने का भी कोई अधिकार नहीं है।[5] अन्तत: मुंशी–आयंगर के फॉर्मूले को स्वीकार किया गया – हिन्दी और अँग्रेज़ी, दोनों को राजभाषा माना गया। अँग्रेज़ी को 15 साल के लिए। अन्य भाषाओं को जगह देने के लिए आठवीं अनुसूची का गठन हुआ। अँग्रेज़ी को हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट की भाषा माना गया।[6]

आयंगर साहब का कहना था कि हमारी कोर्टों को अँग्रेज़ी में काम करने की आदत पड़ चुकी है। सभी कानून अँग्रेज़ी में हैं और सभी अधिनियम, आदेश व उप-नियम भी। कानून की सभी किताबें अँग्रेज़ी में हैं। जिन फैसलों के आधार पर नए फैसले करने हैं, वे अँग्रेज़ी में

---

5 संविधान सभा की बहसें (CAD 1): 26-27

6 https://www.livelaw.in/english-the-language-of-supreme-court-of-india/

मुंशी-आयंगर फॉर्मूला

संविधान का जो मसौदा 1948 में बना था उसमें आधिकारिक भाषा से जुड़ा कोई प्रावधान नहीं था। इस सम्बन्ध में संविधान सभा में पहला औपचारिक प्रस्ताव 12 सितम्बर 1948 को गोपालास्वामी आयंगर ने रखा। इसे आयंगर और के एम मुंशी ने मिलकर तैयार किया था इसलिए इसे मुंशी-आयंगर फॉर्मूला कहा जाता है। संविधान सभा ने आयंगर और मुंशी को यह ज़िम्मेदारी सौंपी थी कि वे भाषा के बारे में ऐसा प्रस्ताव तैयार करें जो सभी को स्वीकार्य हो।

इस प्रस्ताव में देवनागरी में लिखी जाने वाली हिन्दी को संघ की आधिकारिक या राजभाषा का दर्जा दिया गया। यह भी कहा गया कि आधिकारिक कामकाज के लिए अन्तर्राष्ट्रीय अंकों का इस्तेमाल किया जाएगा। और संविधान लागू होने के 15 साल तक के लिए अँग्रेज़ी को भी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया। साथ ही, संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह चाहे तो 15 साल के बाद

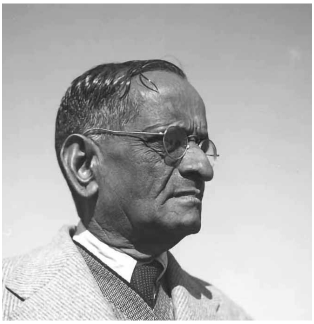

गोपालास्वामी आयंगर

भी अँग्रेज़ी को आधिकारिक भाषा की तरह इस्तेमाल करने की इजाज़त दे सकती है।

हिन्दी के समर्थक इस प्रस्ताव से पूरी तरह सन्तुष्ट नहीं थे। वे अन्तर्राष्ट्रीय अंकों के इस्तेमाल से नाराज़ थे और साथ ही इस बात से भी कि इसमें अँग्रेज़ी से हिन्दी के संक्रमण के लिए दिया गया समय बहुत ज़्यादा था। इस गुट के दबाव में इस प्रस्ताव को कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार किया गया।

(स्रोत: https://www.constitutionofindia.net/constitution_of_india/officiallanguage/articles/Article%20343)

के एम मुंशी

हैं। संविधान के अनुसार आगे से भी जो कानून बनेंगे, वे अँग्रेज़ी में होंगे। कानून की दृष्टि से किसी भी अँग्रेज़ी अभिव्यक्ति का हिन्दी अर्थ तलाश करना आसान नहीं। विधि आयोग की 216वीं रिपोर्ट में जाने-माने कानूनी विशेषज्ञ फाली नारिमन ने कहा, "मैं संसद व सरकार, दोनों से गुज़ारिश करता हूँ कि वे हिन्दी को कानूनी व्यवस्था की भाषा न बनाएँ। पिछले 300 साल से हमारी पूरी कानूनी व्यवस्था व उसकी भाषा अँग्रेज़ों से जुड़ी हुई है और उसका अब पूरी तरह से भारतीयकरण हो चुका है। अब भारतीय अँग्रेज़ी भारत की अपनी भाषा है। अब भारतीय कानून व उसकी अँग्रेज़ी में हम कोई ओक के पेड़ की बात नहीं करते। वह अब एक पीपल के पेड़ जैसा है।"

नारिमन ने यह भी कहा कि यदि हम अब अपने कानून व अधिनियमों की भाषा बदलते हैं तो कानून चलाना असम्भव हो जाएगा। हाँ, हम एक नए सिरे से अपना कानून बनाएँ तो अलग बात है।

1970 में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस आया मधु लिमये बनाम वेद मूर्ति का। इसकी सुनवाई के दौरान राज नारायण ने कहा कि वे केवल हिन्दी में ही बहस करेंगे।[7] सात जजों की बेंच के सामने यह केस लगा था। बेंच ने संविधान के अनुसार फैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट में बहस केवल अँग्रेज़ी में ही हो सकती है।

अनुच्छेद 348 (1) (ख) – जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे तब तक,

(i) संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान-मण्डल के सदन में प्रस्तावित सभी विधेयकों व संशोधनों की भाषा अँग्रेज़ी होगी।

(ii) संसद या किसी राज्य के विधान-मण्डल द्वारा पारित सभी अधिनियमों और राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी सभी अध्यादेशों की भाषा भी अँग्रेज़ी होगी।

(iii) इस संविधान के अधीन अथवा संसद या किसी राज्य के विधान-मण्डल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन निकाले गए या बनाए गए सभी आदेशों, नियमों, विनियमों और उपविधियों के प्राधिकृत पाठ अँग्रेज़ी भाषा में होंगे।

(iv) खण्ड (1) के उपखण्ड (क) में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में, जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिन्दी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा, परन्तु इस खण्ड की कोई बात हाई कोर्ट के निर्णय, डिक्री या आदेश पर लागू नहीं होगी।

---

7 SCC 738: AIR 1971 SC 2608। यह मामला व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ था। जनता पार्टी से जुड़े समाजवादी नेता राजनारायण इस मामले में कोर्ट के सामने अपनी बात हिन्दी में रखना चाहते थे।

अनुच्छेद 349

भाषा की दृष्टि से अनुच्छेद 349 बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें यह प्रावधान रखा गया कि संविधान के लागू होने के 15 वर्ष बाद तक अनुच्छेद 348 के खण्ड (1) में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबन्ध करने वाला कोई विधेयक या संशोधन संसद के किसी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंज़ूरी के बिना प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। इसमें यह भी लिखा है कि राष्ट्रपति अपनी मंज़ूरी देने से पहले अनुच्छेद 344 (1) के अन्तर्गत गठित आयोग (देखें, अध्याय 1) की सिफारिशों और अनुच्छेद 344 (4) के अन्तर्गत गठित समिति[8] की रपट को ध्यान में रखेंगे।

अनुच्छेद 350

अनुच्छेद 350 शायद एक आम इन्सान को सबसे ज़्यादा ताकत देता है। हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी या प्रधिकारी को केन्द्र या राज्य में इस्तेमाल होने वाली किसी भी भाषा में अपनी समस्या लिखकर दे सकता है। इस अनुच्छेद में 1956 में संशोधन किया गया और अनुच्छेद 350 (क) और 350 (ख) जोड़ा गया। अनुच्छेद 350 (क) में प्रावधान किया गया कि प्रत्येक राज्य में सरकार अल्पसंख्यक-वर्गों के विद्यार्थियों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगी। दूसरे में, यानी 350 (ख) में भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक विशेष अधिकारी नियुक्त करने का प्रावधान है। विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के अधिकारों से सम्बन्धित सभी विषयों का अन्वेषण करे और

---

8 अनुच्छेद 344 (4) के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की एक कमेटी 344 (1) के अन्तर्गत गठित आयोग की सिफारिशों की जाँच करके राष्ट्रपति को अपनी रपट सौंपेगी।

उन विषयों के सम्बन्ध में ऐसे अन्तरालों पर जो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे। राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और सम्बन्धित राज्यों की सरकारों को भी भिजवाएगा।

■ ■

(स्रोत: *शैक्षणिक संदर्भ*, अंक 124, सितम्बर-अक्टूबर 2019)

4

अपरिपक्व अद्भुत प्रतिभा की कारीगरी!

Eighth Schedule

[Articles 344 (1) and 351]

Languages

1. Assamese.
2. Bengali.
3. Gujarati.
4. Hindi.
5. Kannada.
6. Kashmiri.
7. Malayalam.
8. Marathi.
9. Oriya.
10. Punjabi.
11. Sanskrit.
12. Tamil.
13. Telugu.
14. Urdu.

(Rajendra Prasad)

Jawaharlal Nehru

B. Pattabhi Sitaramayya

N. Gopalaswami

Alladi Krishnaswami Iyer

Ammu Swaminadhan

T. Prakasam

K. Santhanam

G. Durgabai

M. Thirumala Rao

N. Sanjiva Reddy

M. Ananthasayanam Ayyangar

जब हिन्दी व अँग्रेज़ी का फैसला हो गया था तो फिर आठवीं अनुसूची बनाने की क्या आवश्यकता थी? दो प्रश्न संविधान सभा की बहसों में निरन्तर टाले गए। एक प्रश्न था भाषा का और दूसरा, संसद का सदस्य होने के लिए आवश्यक योग्यता का। दोनों आज तक हमारे गले में लटके हुए हैं। संसद में कई ऐसे लोग बैठे हैं जिन पर संगीन जुर्म के मुकदमे चल रहे हैं। अनुच्छेद 84 के मुताबिक संसद का सदस्य होने के लिए दो ही बातें आवश्यक हैं: भारत का नागरिक होना और लोक सभा के लिए कम से कम 25 वर्ष व राज्य सभा के लिए कम से कम 30 वर्ष का होना। इतने अहम मुद्दे पर केवल इतनी ही बात कहना शायद उचित नहीं था। आज की परिस्थिति देखकर तो यही लगता है। लेकिन हो सकता है कि उस समय की संविधान सभा को देखकर यह लगता हो कि संसद सदस्यों का कद शायद हमेशा ही इतना ऊँचा बना रहेगा। आज लगता है कि उन उम्मीदों का क्या हुआ?

राष्ट्रभाषा/राजभाषा के दावेदार

जैसा कि पहले ज़िक्र किया गया है, संविधान सभा की बहसों में हिन्दी वाले इस बात पर आमादा थे कि संस्कृतनिष्ठ हिन्दी ही राष्ट्रभाषा बने। जब अन्य राज्यों के लोग इस बात के लिए नहीं माने तो राजभाषा पर सहमति बनी। कई लोगों का तो यह भी कहना था कि संस्कृत ही भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। पण्डित लक्ष्मीकान्ता

मैत्रा का कहना था कि संस्कृत ही राष्ट्रभाषा बनाने योग्य है। उनके अनुसार संस्कृत संसार की सभी भाषाओं की जननी है और यह बात विश्व के महान विद्वान भी मानते हैं। अगर आज भारत को अपना भाग्य बनाने का अवसर मिला है तो उसे निश्चित रूप से संस्कृत को ही अपनाना चाहिए। उन्होंने पूछा कि क्या भारत को आज संस्कृत को मान्यता देने में शर्म महसूस हो रही है। उनका मानना था कि बांग्ला, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम जैसी अनेक भाषाएँ महान हैं पर वह अलग-अलग राज्यों की भाषाएँ हैं और उनका उद्‌गम संस्कृत से ही हुआ है। संस्कृत हमारे राष्ट्र की भाषा है। तेलुगु के समर्थकों का कहना था कि केवल तेलुगु में ही विज्ञान की भाषा विकसित हुई है, इसलिए तेलुगु को ही आधुनिक भारत की राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए। इसी प्रकार तमिल व बांग्ला के पक्ष में बोलने वाले भी कई लोग थे।

संस्कृत का पक्ष लेने वाले शायद यह नहीं समझ रहे थे कि भारत में चार मुख्य भाषा परिवार हैं जिनमें से तीन का संस्कृत से कोई लेना-देना नहीं है। विशेषकर, द्रविड़ परिवार की तमिल भाषा व संस्कृति उतनी ही प्राचीन है जितनी संस्कृत। खैर, जब 15 साल होने को आए तो दक्षिण में बहुत दंगे हुए। वास्तव में, जब-जब देश में हिन्दी थोपने के प्रयास हुए तब-तब हिन्दी का भयंकर विरोध हुआ है, विशेषकर तमिलनाडु में। सी राजगोपालाचार्य ने 1937 में तमिलनाडु के स्कूलों में हिन्दी पढ़ाने का प्रस्ताव रखा। 1937 से लेकर 1940 तक हिन्दी के खिलाफ तरह-तरह की सभाएँ व सम्मेलन हुए और लोगों ने उपवास रखे व धरने दिए। अँग्रेज़ों का राज था। बहुत सख्ती हुई। बहुत सारे लोग पकड़े गए और दो लोगों की मौत भी हुई। उसी समय से द्रविड़ राजनैतिक पार्टी की भी शुरुआत हुई।

स्थिति को सँभालने के लिए नेहरू को 1963 का राजकीय भाषा अधिनियम संसद में पारित करवाना पड़ा, जिसमें 1967 में संशोधन किया गया। इसके अन्तर्गत हिन्दी व अँग्रेज़ी भारत की राजभाषाएँ होंगी। तमिलनाडु के लोग कभी तैयार नहीं थे कि अँग्रेज़ी को

R. No. M. 2041

"KUDI-ARASU"

குடி அரசு

1924-ல் ஸ்தாபிக்கப் பட்டது.

(20—11—1938)

தமிழ் நாட்டுப் பெண்கள் மாநாடு.

தலைவர் திருவரங்க- நீலாம்பிகை அம்மையார் தலைமைப்பேருரை.

हिन्दी-विरोधी आन्दोलन के प्रति महिलाओं का समर्थन ज़ाहिर करने के लिए तमिलनाडु महिला सम्मेलन का आयोजन 1938 में किया गया। आन्दोलन के एक प्रमुख नेता पेरियार ने इस सम्मेलन की खबर को अपनी पत्रिका *कुडि अरसु* में प्रकाशित किया था।

हिन्दी, अँग्रेज़ी, संस्कृत व कुछ दूसरी प्रमुख भाषाओं पर इस तरह एकतरफा ज़ोर देने का नतीजा यह हुआ कि ऑस्ट्रो-एशियाई व तिबतो-बर्मन परिवार की छोटी भाषाओं को बिलकुल ही दरकिनार कर दिया गया और हम आज तक इसकी कीमत चुका रहे हैं। अंगामी, सन्थाली, आओ, सौरा या बोडो बोलने वाले लाखों बच्चों को ऐसी भाषाओं के माध्यम से पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता है जिनसे वे पूरी तरह अनभिज्ञ होते हैं और जब वे विज्ञान या सामाजिक विज्ञानों की विषयवस्तु को भाषाई दिक्कत की वजह से नहीं समझ पाते हैं तो उनको बुद्धू और अयोग्य करार दिया जाता है।

संस्कृत या संस्कृतनिष्ठ हिन्दी के पैरोकारों की मान्यताएँ भाषा के विकास के प्रति उनकी अज्ञानता और एक तरह के भ्रामक राष्ट्रवाद से निकली थीं। हिन्दी की वकालत करने वालों को लगता था कि भाषा का विकास करने के लिए 'विदेशी' मूल के शब्दों को उस भाषा से हटाना ज़रूरी है। मगर, उनको यह नहीं पता था केवल वही भाषाएँ, जो दूसरी भाषाओं से खुलकर लेन-देन करती हैं, विकसित होती हैं और आम लोगों द्वारा स्वीकार की जाती हैं। मैत्रा व उनके जैसे अन्य संविधान सभा सदस्य यह नहीं समझ रहे थे कि सभी भाषाएँ उतनी ही वैज्ञानिक होती हैं और अगर भरपूर अवसर मिले तो कोई भी भाषा आधुनिक समाज की ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम होती है।

सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान सभा के अधिकांश सदस्य किसी 'भाषा विशेष' को एक स्वायत्त वस्तु की तरह देख रहे थे। उनके लिए यह समझना मुश्किल था कि भाषा एक गतिशील प्रक्रिया है और उसके अधिकतर नियम लोगों के आपसी संवाद की प्रक्रिया में बनते हैं।

संविधान से हटाकर हिन्दी को सारे देश पर थोप दिया जाए। भारत जैसे बहुभाषी देश के लिए यह बिलकुल ज़रूरी नहीं कि 'एक देश एक भाषा' का नारा बुलन्द किया जाए। आज भी हिन्दी को थोपने के प्रयास होते रहते हैं। और हिन्दी को लेकर यदा-कदा झगड़े भी होते ही रहते हैं। कई बार हिन्दी को दक्षिण भारत के राज्यों पर थोपने की बात चली। इस सब का परिणाम यह हुआ कि तमिल लोगों ने अपनी भाषागत पहचान को और सुदृढ़ बनाने के लिए संस्कृत के शब्दों के द्रविड़ पर्याय चुन लिए और आधुनिक विज्ञान के लिए भी तमिल शब्दावली बनाई। टी टी कृष्णामचारी ने तो कहा ही था कि यह हमारे उत्तर प्रदेश के दोस्तों पर निर्भर करता है कि वे पूर्ण भारत चाहते हैं या केवल हिन्दीभाषी भारत।

आठवीं अनुसूची

आठवीं अनुसूची बनाने का यही उद्देश्य था कि भारत की सभी मुख्य भाषाओं को भारत के संविधान में जगह मिल जाए। बहुत से लोग जो नाराज़ थे उनकी नाराज़गी भी खत्म हो जाएगी। देखने की बात है कि इस अनुसूची को केवल 'भाषाएँ' कहा गया न कि भारतीय भाषाएँ या क्षेत्रीय भाषाएँ, आदि। इसका अर्थ यह हुआ कि यह एक खुली सूची थी जिसमें कोई भी भाषा किसी भी समय मिलाई जा सकती थी। यही वजह है कि ऑस्टिन (1966/2000) ने इसे *स्ट्रोक ऑफ रॉ जीनियस* (अपरिपक्व अद्भुत प्रतिभा की कारीगरी) कहा है। तमिल, बांग्ला व उर्दू वालों की सभी शिकायतें भी खत्म हो गईं और हिन्दी को राजभाषा बनाकर हिन्दी वालों को भी काफी तसल्ली हुई। फिर भी, जैसा पहले ज़िक्र किया गया है, हिन्दी को निरन्तर समृद्ध करने व उसके प्रचार-प्रसार के लिए संविधान में कई अनुच्छेद शामिल किए गए (अध्याय 3)।

आठवीं अनुसूची में आ जाने से किसी भाषा को कोई खास लाभ नहीं होते। हाँ, इतना ज़रूर है कि एक पहचान बन जाती है और एक नए स्वाभिमान का दायरा बन जाता है। संविधान के अनुसार तो

केवल यही प्रावधान है कि आठवीं अनुसूची में सम्मिलित हर भाषा का एक व्यक्ति उस भाषा आयोग में शामिल होगा जो भाषाओं के मसलों पर बनेगा। यह भी प्रावधान रखा गया था कि हिन्दी अपने आधुनिकीकरण व विकास में इस अनुसूची की भाषाओं से मदद लेगी। अच्छी बात यह हुई कि बहुभाषिता एवं भाषागत पहचान में यह अनुसूची एक नया पुल बन गई। सरकार को भी इसमें नई भाषाएँ जोड़ने में कोई विशेष कठिनाई नहीं होनी चाहिए। बेशक, धीरे-धीरे यह एक भयावह राजनैतिक मामला बन गया है और आज की तारीख में सरकार के पास इस अनुसूची में शामिल होने के लिए कई भाषाओं के प्रस्ताव रखे हैं। इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि यह अनुसूची 14 भाषाओं से शुरू होकर आज 22 तक पहुँच गई है।

जिन 14 भाषाओं को आठवीं सूची में 1950 में रखा गया था वे थीं: आसामी, बांग्ला, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, ओड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु व उर्दू। सबसे पहले इस सूची में सिन्धी को जोड़ा गया। सिन्धी का कोई अपना विशेष क्षेत्र नहीं था पर सिन्धी लोग देश के अलग-अलग हिस्से में फैले हुए थे और देश की संस्कृति में इनका विशेष योगदान भी रहा है। लेकिन, आठवीं अनुसूची में आ जाने के बाद भी सिन्धी लोगों ने सिन्धी भाषा के लिए कुछ विशेष नहीं किया। इसलिए, महज़ आठवीं अनुसूची में आ जाने से कुछ खास हासिल नहीं होता सिवाय एक मानसिक तसल्ली के। जाने-माने भाषाविद् डी पी पट्टनायक ने अपने एक भाषण में ठीक ही कहा था कि भारत की हर क्षेत्रीय भाषा को इस अनुसूची में ले लेना चाहिए। 1992 में कोंकणी, मणिपुरी व नेपाली भाषाएँ इस अनुसूची में स्वीकृत हो गईं। देश के निर्माण की प्रक्रिया में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की कभी बात ही नहीं होती थी। मणिपुरी को इस सूची में लाने के लिए मणिपुरी लोगों ने एक बहुत लम्बी लड़ाई लड़ी। पश्चिम बंगाल ने नेपाली को 1961 में ही राजकीय भाषा का दर्जा दे दिया था। कोंकणी का सवाल तब उठा जब गोआ को महाराष्ट्र में मिलाने की बात सामने आई। कोंकणी

को एक अलग भाषा माना गया और गोआ को एक अलग राज्य। इस प्रकार अनुसूची में 18 भाषाएँ हो गईं। फिर कई साल तक कुछ नहीं हुआ। दिसम्बर 2003 में चार और भाषाएँ इसमें जोड़ दी गई: बोडो, सन्थाली, मैथिली व डोगरी। आज सूची में कुल 22 भाषाएँ शामिल हैं।

हर भाषा के जुड़ने के पीछे विशेष किस्म की राजनीति रही है। पर जो बातें सब में शामिल थीं वह हैं: मानसिक तसल्ली, सामाजिक प्रतिष्ठा एवं राष्ट्रीय पहचान। भाषाओं को संविधान की इस सूची में लाने की बात अक्सर उन इलाकों से शुरू हुई जहाँ लोग सत्ता से खुश नहीं थे और जहाँ सामाजिक व राजनैतिक झगड़े चल रहे थे। बोडो जनजाति के लोग कई वर्षों से आसाम सरकार से नाखुश थे। वह आसाम में अपनी अलग पहचान बनाना चाहते थे। 2003 में बोडो लोगों, आसाम की सरकार और भारत की सरकार में एक समझौता हुआ। इसके अन्तर्गत बोडो भाषा को आठवीं सूची में शामिल किया गया। इसी प्रकार, एक अन्य जनजाति भाषा सन्थाली को भी इस सूची में लाया गया। भारत के अलग-अलग हिस्सों में रहने वाले सन्थाल व अन्य लोगों के बीच बातचीत की सामान्य भाषा सन्थाली पाँच अलग-अलग लिपियों में लिखी जाती है। मैथिली और डोगरी का इस सूची में शामिल होना तो और भी बड़ा राजनैतिक मसला था। भारत के जनगणना दफ्तर ने जब सरकार को 1961 में यह बताया कि हिन्दी सीखने वालों की संख्या कम हो रही है तो कई जानी-मानी भाषाओं को हिन्दी का ही हिस्सा मान लिया गया जिससे हिन्दी बोलने वालों की संख्या बहुत बड़ी दिखने लगी। इन भाषाओ में अवधी, भोजपुरी, मैथिली, ब्रज, बुन्देली, आदि जैसी भाषाएँ शामिल थीं। इस पर बहुत हंगामा मचा। मैथिली बोलने वालों ने अपनी अलग पहचान बनाने के लिए बहुत संघर्ष किया। यही बात डोगरी के बारे में भी सच है। कश्मीरी है तो डोगरी भी।

यह तो साफ है कि आठवीं सूची में उन प्रतिष्ठित भाषाओं को रखा गया था जिनका ज़िक्र संविधान सभा की बहसों में हुआ था। कुछ लोगों ने आदिवासियों की भाषाओं का सवाल भी उठाया था।

लेकिन, उस वक्त उनकी बात पर किसी ने गौर नहीं किया। 14 सितम्बर 1949 को संविधान सभा की भाषा को लेकर हो रही बहसों में बिहार के जयपाल सिंह ने मुण्डारी, गोण्डी व उराओं को लेकर यह सवाल उठाया। उनका कहना था कि जहाँ संस्कृत जैसी भाषा बोलने वालों की संख्या केवल हज़ारों में होगी, वहाँ इन भाषाओं को लाखों लोग बोलते हैं। उनका यह भी कहना था कि जब ये लोग हमारी प्रान्तीय व राष्ट्रीय भाषाएँ सीखते रहते हैं तो हमें भी इनकी भाषाएँ सीखने का प्रयास करना चाहिए। उनका यह भी मानना था कि अपनी प्राचीन संस्कृति को समझने के लिए इन भाषाओं का अध्ययन आवश्यक है। लोग समझ रहे थे कि शायद इस प्रक्रिया से देश में और कई छोट-छोटे राज्य बन जाएँगे। पर जयपाल जी ने समझाया कि ऐसा नहीं है। सन्थाली जैसी आदिवासी भाषा कई प्रदेशों में बोली जाती है जिनमें बंगाल, बिहार, आसाम व ओडिशा जैसे कई प्रदेश शामिल हैं। उन्हें संविधान में शामिल करने से वे स्वयं समृद्ध होंगी व राष्ट्रभाषा/राजभाषा को भी और अधिक समृद्ध करेंगी। खैर, यह सब उस वक्त तो नहीं हुआ पर बाद में कई तरह के संघर्ष करने पर बोडो व सन्थाली जैसी भाषाएँ आठवीं अनुसूची में आईं।

अल्पसंख्यक समुदाय

जयपाल सिंह व अन्य कई सदस्यों की बातों को ध्यान में रखते हुए संविधान में कुछ और महत्वपूर्ण प्रावधान भी रखे गए। अनुच्छेद 29 (1) में यह प्रावधान रखा गया कि हर समुदाय को अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार होगा। इसी तरह, अनुच्छेद 30 (1) में यह प्रावधान रखा गया कि हर भाषा या धर्म आधारित अल्पसंख्यक समुदाय को अपने शैक्षिक संस्थान चलाने का अधिकार होगा।

बहुसंख्यक समुदायों के बीच बनी सहमति से बनाई नीतियों में अल्पसंख्यक समुदायों को अक्सर बहुत नुकसान होता है। बहुसंख्यक

लोग तो आपस में कुछ मानकर कुछ मनवाकर समझौते कर लेते हैं पर इसमें अल्पसंख्यक समुदायों की बात अनसुनी रह जाती है। एक स्वस्थ लोकतंत्र केवल बहुमतों पर ही आधारित नहीं होना चाहिए। भारत के चार भाषा परिवारों में से हर परिवार की कुछ भाषाएँ आठवीं अनुसूची में रखी जा सकती थीं। यह सही है कि अधिक भाषाएँ आर्य व द्रविड़ परिवार की ही होतीं, पर मुण्डा व तिबतो-बर्मन परिवारों की किसी भी भाषा को इस सूची में शामिल न करना शायद ज़्यादती थी।

■ ■

(स्रोत: *शैक्षणिक संदर्भ*, अंक 125, नवम्बर-दिसम्बर 2019)

सन्दर्भ

- एच एम सेरवाई, *कॉन्स्टीट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया: ए क्रिटिकल कमेंटरी*, त्रिपाठी, बम्बई, 1983
- बी शिव राव व अन्य, द *फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज़ कॉन्स्टीट्यूशन: ए स्टडी*, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, दिल्ली, 1968
- जी ऑस्टिन, द *इंडियन कॉन्स्टीट्यूशन: कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन*, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 1966/2000

आभार

- पेज नम्बर 8, 16, 24 और 34 पर इस्तेमाल किए गए डिज़ाइन विज़ुअल भारत के संविधान के मूल पाठ से लिए गए हैं जो इस वेब लिंक पर उपलब्ध है – https://rarebooksocietyofindia.org/postDetail.php?id=196174216674_10151425826181675
- पेज नम्बर 37 पर इस्तेमाल की गई तस्वीर विकीपीडिया के पेज "हिन्दी विरोधी आन्दोलन 1937-40" से ली गई है जो इस वेब लिंक पर उपलब्ध है – https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Hindi_agitation_of_1937%E2%80%9340#/media/File:Kudiyarasu.jpg

आज़ादी मिलने के सत्तर वर्षों के बाद भी भाषा हमारे देश में बहस का एक तीखा मुद्दा है। ऐसे में भाषा के सवाल पर संविधान सभा में हुई बहसों को जानना महज़ ऐतिहासिक जिज्ञासा को शान्त करने जैसा नहीं है। इससे हमें आज की बहसों के सन्दर्भ में एक सचेत राय बनाने में भी मदद मिल सकती है। उम्मीद है कि यह पुस्तिका इस अर्थ में एक व्यापक पाठक वर्ग के लिए उपयोगी साबित होगी।

मूल्य: ₹ 50.00

एकलव्य

9 789391 132675